MPOnline Limited
Transforming Governance, Empowering Citizens
Joint venture between Govt of Madhya Pradesh and TCS

कियोस्क आवेदन, पंजीयन शुल्क भुगतान एवं अनुबंध संबंधी आवश्यक जानकारी

- एमपीऑनलाइन कियोस्क स्थापित करने हेतु सर्वप्रथम आवेदक को www.mponline.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

नियम पुस्तिका के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित स्टेप-बाय-स्टेप वीडियो गाइड उपलब्ध हैं:

📌 **MPOnline Kiosk Registration Guide**

एमपीऑनलाइन कियोस्क कैसे बनें (How to Become MPOnline Kiosk):
🔗 https://www.youtube.com/watch?v=jXfjCg5eZRM

- ***आवेदन में आवेदक अपना आधार नंबर कहीं भी दर्ज न करें और न ही आधार अटैच करें।***

- आवेदक कियोस्क हेतु आवेदन स्वयं भरें, किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति से न ही आवेदन भरावें और न हीं आवेदन हेतु कोई शुल्क प्रदान करें।
- एमपीऑनलाइन के सामान्य कियोस्क स्कूल एवं कॉलेज परिसर में आवंटित नहीं किये जावेंगे और न ही यहां से कियोस्क का संचालन किया जा सकेगा।
- संबंधित विभाग के निर्देश पर ही स्कूल व कॉलेज परिसर में कियोस्क आवंटित किये जा सकेंगे।
- किसी भी आवेदक को एक से अधिक कियोस्क आवंटित नहीं किये जावेंगे।
- आवेदन भरते समय आवेदक का पेन होना अनिवार्य है तथा कियोस्क आवेदन में पेन कार्ड अनुसार ही नाम दर्ज करें अन्यथा आवेदन अमान्य हो जावेगा।
- आवेदन में आवेदक के दस्तावेज अनुसार दर्ज जानकारी ही भरें। आवेदन में भरी गई जानकारी और दस्तावेज की जानकारी एक समान नहीं होने अथवा गलत जानकारी होने पर आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा तथा पंजीयन शुल्क की राशि किसी भी दशा में वापस नहीं की जावेगी।
- कियोस्क हेतु आवेदन भरते समय कियोस्क (दुकान) नाम में 'MPOnline' शब्द का किसी भी प्रकार से उपयोग न करें, अन्यथा कियोस्क आवंटन निरस्त कर दिया जावेगा।
- ऑनलाइन आवेदन भरने के उपरांत पंजीयन शुल्क का भुगतान भी ऑनलाइन ही करना होगा। पंजीयन शुल्क के सफल भुगतान के उपरांत एमपीऑनलाइन द्वारा आवेदन में संलग्न दस्तावेजों का सत्यापन किया जावेगा।
- आवेदन के सत्यापन में यदि कोई जानकारी अथवा दस्तावेज गलत पाये जाते हैं तो उसमें सुधार के आपको दो अवसर निःशुल्क प्रदान किये जावेगे, जिसमें आपको आवेदन में सुधार कर पुनः आवेदन सबमिट करना होगा।
- यदि आप दोनों बार भी संशोधन में सही जानकारी प्रदान नहीं करते हैं और सत्यापन में आवेदन पुनः रिजेक्ट हो जाता है तो आपको इसमें सशुल्क सुधार का अवसर रुपये 250/- का भुगतान करने पर प्रदान किया जावेगा।
- यदि आवेदन त्रुटि पाये जाने पर रिजेक्ट किया जाता है तो पंजीयन शुल्क की राशि किसी भी स्थिति में वापस नहीं की जावेगी।
- आवेदन में भरी गई समस्त जानकारी तथा दस्तावेज सत्यापन में सही पाये जाने पर आवेदक को अनुबंध करने हेतु ईमेल/मोबाइल पर संदेश प्राप्त होगा। कियोस्क अनुबंध प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ही कियोस्क आवंटन किया जा सकेगा।

1. **कियोस्क स्थापना हेतु आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चरः-**
    a. कियोस्क स्थापना हेतु कम से कम 10X10 वर्गफुट की दुकान/ऑफिस/इंटरनेट कैफे होना आवश्यक है।
    b. कम्प्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, बायोमेट्रिक डिवाईस, वेबकैमरा तथा इंटरनेट कनेक्शन होना अनिवार्य है।
    c. कियोस्क उसी स्थान के लिये अधिकृत किया जावेगा, जहां पर असामाजिक गतिविधियां संचालित न की जा रही हों। साथ ही वहां पर नागरिकों को आने-जाने में किसी भी प्रकार की असुविधा न होती हो।
    d. कियोस्क संचालक को नागरिकों को पेयजल एवं बैठने की सुविधा भी उपलब्ध कराना होगा।

2. **कियोस्क आवेदन हेतु न्यूनतम अर्हताएं -**

    a. आवेदक की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होना अनिवार्य है।
    b. आवेदक का पेनकार्ड धारक होना अनिवार्य है.
    c. आवेदक को मप्र का निवासी होना चाहिये।
    d. आवेदक को न्यूनतम 10 वीं (हाईस्कूल) पास होना अनिवार्य है।

3. **कियोस्क आवेदन के साथ अटैच किये जाने वाले दस्तावेज –**
    a. आवेदक का नवीनतम पासपोर्ट साइज का फोटो।
    b. न्यूनतम हाईस्कूल (10वीं) उत्तीर्ण की मार्कशीट.
    c. आवेदक के बैंक खाते की पासबुक फोटो सहित अथवा कैंसिल चेक (खाता विवरण सहित)
    d. शहरी क्षेत्र में कियोस्क हेतु दुकान का नवीनतम स्थापना का पंजीयन अथवा उद्यम प्रमाण पत्र.
    e. शहरी / ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक के घर के पते के प्रमाण हेतु किरायानामा/ वोटर आईडी (दोनों साइड की इमेज)/ ड्रायविंग लायसेंस/पासपोर्ट/ राशनकार्ड/बिजली बिल/ समग्र (इनमें से कोई एक जिसमें आवेदक का नाम तथा पता स्पष्ट लिखा हो) की प्रति स्कैन कर अटैच करे
    f. दुकान के अंदर और बाहर के स्पष्ट फोटो जिसमें कम्प्यूटर और प्रिंटर भी दिखाई दे रहे हों।

- **शहरी क्षेत्र में कियोस्क / दुकान का वही पता भरें जो संलग्न किये जा रहे निम्न दस्तावेज में दर्ज हो।**
    g. शहरी क्षेत्र में कियोस्क स्थापना हेतु दुकान के पते के लिये स्थापना का पंजीयन प्रमाण पत्र, उद्यम पंजीयन प्रमाण पत्र। इनमें से कोई भी एक अटैच करें।
    h. ध्यान रखें इनमें आवेदक एवं दुकान का नाम तथा पते का स्पष्ट उल्लेख होना अनिवार्य है। अधूरी एवं गलत जानकारी होने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है।
- **ग्रामीण क्षेत्र में कियोस्क / दुकान का वही पता भरें जो संलग्न किये जा रहे निम्न दस्तावेज में दर्ज हो।**
    i. ग्रामीण क्षेत्र में कियोस्क स्थापना हेतु दुकान के पते के लिये सरपंच द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र (सील एवं हस्ताक्षर सहित), उद्यम पंजीयन प्रमाण पत्र, इनमें से कोई भी एक अटैच करें।
    j. ध्यान रखें इनमें आवेदक एवं दुकान का नाम तथा पते का स्पष्ट उल्लेख होना अनिवार्य है। अधूरी एवं गलत जानकारी होने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है।
    k. ग्रामीण क्षेत्र हेतु कियोस्क / दुकान का वही पता भरें, जो सरपंच द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र / उद्यम पंजीयन प्रमाण पत्र में दर्ज हो।
    l. आवेदन में दुकान के अंदर एवं बाहर के फोटो स्पष्ट अटैच करना अनिवार्य है।
    m. आवेदन में आवश्यक दस्तावेज सही स्थान पर ही स्पष्ट स्कैन कर अटैच करें।
- **आवेदन में घर का वही पता भरें जो संलग्न किये जा रहे दस्तावेज में दर्ज हो ।**
    n. शहरी / ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक के घर के पते के प्रमाण हेतु घर का किरायानामा/ वोटर आईडी (दोनों साइड की स्पष्ट इमेज) / ड्रायविंग लायसेंस/पासपोर्ट/ राशनकार्ड/बिजली बिल, समग्र (इनमें से कोई एक जिसमें आवेदक का नाम तथा पते का स्पष्ट लिखा हो) की प्रति स्कैन कर अटैच करें।

4. कियोस्क आवेदन के समय पंजीयन शुल्क भुगतान की प्रक्रियाः-

a. आवेदन भरने के उपरांत शहरी क्षेत्र में कियोस्क स्थापित करने हेतु **पंजीयन शुल्क 3000/- रु.** (कर अतिरिक्त) तथा ग्रामीण क्षेत्र हेतु **पंजीयन शुल्क 1000/- रु.** (कर अतिरिक्त) का ऑनलाइन भुगतान करना होता है।

b. ध्यान रखें शुल्क भुगतान के उपरांत यदि आवेदन त्रुटिपूर्ण होने पर निरस्त किये जाते हैं तो पंजीयन शुल्क की राशि किसी भी दशा में वापस नहीं होगी।

c. आवेदक पंजीयन शुल्क भुगतान के उपरांत होम पृष्ठ पर उपलब्ध आवेदन की स्थिति (Check Application Status) लिंक पर कियोस्क आवेदन क्रमांक भरकर देखी जा सकती है।

5. कियोस्क आईडी -पासवर्ड बनाने एवं अनुबंध करने की प्रक्रियाः-

a. आवेदन के सफल वेरिफिकेशन के उपरांत होम पृष्ठ पर उपलब्ध आवेदन की स्थिति (Check Application Status) लिंक पर कियोस्क आवेदन क्रमांक भरकर देखी जा सकती है। कियोस्क लॉगिन करने हेतु आईडी एवं पासवर्ड आवेदक द्वारा स्वयं बनाया जावेगा।

b. आवेदक द्वारा कियोस्क आईडी और पासवर्ड बनाने के उपरांत कियोस्क लॉगिन करें तथा कियोस्क अनुबंध प्रक्रिया पूर्ण करें।

c. कियोस्क अनुबंध प्रक्रिया प्रथम पक्षकार एमपीऑनलाइन लिमिटेड भोपाल द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरित अधिकारी तथा द्वितीय पक्षकार आवेदक के मध्य की जावेगी।

d. शासन के निर्देशानुसार 1000/- रुपये के ई-स्टाम्प पर ही कियोस्क अनुबंध किया जा सकेगा।

e. **आवेदक कियोस्क अनुबंध हेतु स्वयं ई-स्टाम्प न खरीदें। 1000/- रुपये मूल्य के ई-स्टाम्प एमपीऑनलाइन द्वारा जनरेट कराये जावेंगे। सिंगल पार्टी ई-स्टाम्प किसी भी स्थिति में मान्य नहीं होगा।**

f. आवेदक को ई-स्टाम्प शुल्क 1000/- रुपये तथा प्रक्रिया शुल्क 100/- रुपये (जीएसटी अतिरिक्त) का भुगतान ऑनलाइन करना होगा, इसके उपरांत एमपीऑनलाइन द्वारा आवेदक के नाम का ई-स्टाम्प जनरेट कराकर अपलोड किया जावेगा।

g. ई-स्टाम्प अपलोड करते ही अनुबंध की प्रति आपको स्क्रीन पर दिखाई देगी। आवेदक के ई-साइन के माध्यम से अनुबंध प्रक्रिया पूर्ण की जावेगी।

h. अनुबंध प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ही कियोस्क संचालक पोर्टल पर उपलब्ध नागरिक सेवाएं ऑनलाइन प्रदान कर सकता है। कियोस्क अनुबंध प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्क लॉगिन कर न्यूनतम 1000/- रुपये का टॉपअप करना अनिवार्य है, इसके उपरांत ही लॉगिन पर नागरिक सेवाएं प्रदान की जा सकेगी।

6. कियोस्क संचालन हेतु आवश्यक शर्तेः-

कियोस्क संचालन की समस्त जवाबदारी पंजीकृत कियोस्क ऑनर की रहेगी। अतः कियोस्क संचालन हेतु एमपीऑनलाइन के समस्त नियम एवं दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन करना अनिवार्य है।

a. कियोस्क उसी स्थान के लिये अधिकृत किया जावेगा. जहां पर असामाजिक गतिविधियां संचालित न की जा रही हों। साथ ही वहां पर नागरिकों को आने-जाने में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।

b. कियोस्क का संचालन निर्धारित स्थान से करना अनिवार्य है। साथ ही दो स्थानों से कियोस्क का संचालन न करें. अन्यथा संबंधित कियोस्क आईडी स्थायी रूप से बंद कर दी जावेगी।

c. कियोस्क संचालन का स्थान बगैर अनुमति परिवर्तित न करें। यदि आप कियोस्क संचालन का स्थान परिवर्तित करना चाहते हैं तो एमपीऑनलाइन से अनुमोदन के उपरांत ही पता परिवर्तित करें।

d. प्रत्येक कियोस्क संचालक को प्रति छः माह में कम से कम 100 ट्रांजेक्शन करना अनिवार्य है। निर्धारित ट्रांजेक्शन नहीं करने पर कियोस्क आवंटन निरस्त करने का अधिकार एमपीऑनलाइन को होगा।

e. नागरिकों को पोर्टल पर उपलब्ध सेवाएं प्रदान करने पर ऑनलाइन रसीद (पावती) देना अनिवार्य है।

f. यदि किसी नागरिक द्वारा पोर्टल पर उपलब्ध सेवा के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य आपसे कराया जाता हैं तो उसकी रसीद भी अलग से प्रदान करें।

g. यदि किसी कियोस्क संचालक द्वारा सेवा प्रदान करने में अनियमितता पायी जाती है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जावेगी।

h. नागरिकों को ऑनलाइन सेवा प्रदान करने पर कियोस्क संचालक को एमपीआनलाइन द्वारा निर्धारित सेवा शुल्क प्रदान किया जाता है। सेवा शुल्क का निर्धारण प्रमुख सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, मध्यप्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित सेवा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा किया जाता है

i. कियोस्क संचालक को एमपीऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध सेवायें कियोस्क लॉगिन से ही प्रदान करना अनिवार्य है। यदि कोई सेवा किसी अन्य पोर्टल पर भी उपलब्ध है, तो भी उस सेवा को एमपीऑनलाइन कियोस्क लॉगिन से ही प्रदान करना होगा, अन्यथा संबंधित कियोस्क के विरुद्ध कार्रवाई की जावेगी।

j. कियोस्क संचालक को राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन द्वारा आयोजित सेमिनार, कैंप अथवा अन्य आयोजनों में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। इनमें उपस्थित नहीं होने पर संबंधित कियोस्क पर एमपीऑनलाइन एवं प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जावेगी।

k. एमपीऑनलाइन के अधिकारियों द्वारा किसी भी प्रकार के आयोजन हेतु आपको निर्देशित किया जाता है तो उन निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

l. कियोस्क संचालक ' MPOnline के लोगो अथवा MPOnline नाम का उपयोग विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड अथवा अन्य किसी भी प्रमाण पत्र अथवा दस्तावेज में न करें, ऐसा करना नियम विरुद्ध है।

m. कियोस्क संचालकों द्वारा एमपीऑनलाइन के संबंध में किसी भी ग्रुप अथवा सोशल मीडिया पर अनर्गल, नकारात्मक एवं भ्रमित करने वाले मैसेज का आदान-प्रदान करना गैरकानूनी है। ऐसा करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जावेगी।

n. यदि किसी कियोस्क संचालक को शोकॉज नोटिस प्रदान किया जाता है तो उसका जवाब 48 घंटे के भीतर देना अनिवार्य है, अन्यथा कियोस्क सेवाएं स्वतः बाधित हो जावेंगी।

o. यदि किसी कियोस्क की सेवायें एमपीऑनलाइन द्वारा बंद की जाती हैं तो उसे तत्काल एमपीऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क का बोर्ड तथा कियोस्क प्रमाण पत्र सहित एमपीऑनलाइन से संबंधित अन्य सामग्री अपनी दुकान (कियोस्क परिसर) से हटाना अनिवार्य होगा, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जावेगी।

p. ऑनलाइन सेवायें प्रदान करते समय आवेदन में कोई भी जानकारी अपनी मर्जी से न भरें। यदि किसी आवेदन में मोबाइल नंबर या ईमेल अंकित करना है तो आवेदक का ही दर्ज करें। कियोस्क संचालक द्वारा स्वयं अथवा आपरेटर का मोबाइल नंबर अथवा ईमेल आईडी दर्ज करने पर संबंधित कियोस्क पर एमपीऑनलाइन तथा विभाग दोनों द्वारा कानूनी कार्रवाई की जावेगी।

q. ऑनलाइन आवेदन में आवेदक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति की जानकारी भरने अथवा आवेदक की गलत जानकारी भरने पर समस्त जवाबदारी कियोस्क ऑनर की मानी जावेगी।

r. कियोस्क का संचालन नियमानुसार नहीं करने पर अथवा कियोस्क आवंटन के समय गलत जानकारी प्रदान करने पर कियोस्क आवंटन निरस्त करने का अधिकार एमपीआनलाइन को होगा।

s. जिस स्थान और पते पर कियोस्क आवंटन किया गया है उस स्थान का स्पॉट वेरिफिकेशन एमपीऑनलाइन के अधिकृत जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा। स्पॉट वेरिफिकशेन के समय कियोस्क

t. संचालक (ऑनर) का आवश्यक दस्तावेजों सहित उस स्थान पर उपस्थित होना अनिवार्य है तथा कियोस्क पर भी आवश्यक दस्तावेज तथा मापदंड अनुसार अधिकृत कियोस्क बोर्ड लगा होना अनिवार्य है।

u. ध्यान रखें आपको अपने कियोस्क का वेरिफिकेशन कियोस्क स्थापित किये गये स्थान पर ही कराना होगा, किसी अन्य स्थान पर दस्तावेज लेकर जाने की आवश्यकता नहीं है।

v. एमपीऑनलाइन द्वारा प्रदान की जा रही नागरिक सेवाओं की विस्तृत जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध है । किसी प्रकार की समस्या आने पर एमपीऑनलाइन के जिला प्रबंधक से संपर्क किया जा सकता है।

w. कियोस्क का सफलतापूर्वक संचालन करने पर प्रतिवर्ष नवीनीकरण किया जावेगा। नवीनीकरण शुल्क का समायोजन कियोस्क टॉपअप से किया जावेगा।

कार्यालय का पताः-

MPonline Limited
Transforming Governance, Empowering Citizens
Joint venture between Govt of Madhya Pradesh and TCS

इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क
तीसरी मंजिल, सी-4, आईटी पार्क कैम्पस, बडवई,
गाँधी नगर, भोपाल (म.प्र.) – 462033
दूरभाष: 0755-6720222
https://www.mponline.gov.in